भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3270

(21 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना

3270. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार वर्ष 2024 तक 10 करोड़ स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते पर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सदस्यों की संख्या अब तक 9 करोड़ हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का कार्यान्वयन वर्ष 2011 से ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्व-सहायता समूह (एसएचजी) में संगठित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2023-24 तक ग्रामीण परिवारों की 10 करोड़ महिलाओं तक पहुंचना है। इस मिशन ने दिनांक 28 फरवरी, 2023 तक ग्रामीण परिवारों की 8.93 करोड़ महिलाओं को 82.61 लाख एसएचजी में संगठित किया है। संगठित किए गए परिवारों और बनाए गए स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग): जी, हां। इस मंत्रालय ने डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत एसएचजी द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन किए हैं। समझौता ज्ञापन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

i. इस मंत्रालय ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के सहयोग से एसएचजी उत्पादों के सरकारी विभागों में विपणन के लिए जीईएम ई-कॉमर्स पोर्टल पर एक स्टोर फ्रंट के रूप में " सरस कलेक्शन" बनाया है।

ii. इस मंत्रालय ने एसएचजी उत्पादों के विपणन के लिए फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राईवेट लिमिटेड, अमेजन एवं फैशनीयर टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड (मीशो) के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्तानक्षर किए हैं।

iii. इस मंत्रालय ने एसएचजी उत्पादों के ऑनलाईन विपणन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए पंतजलि के साथ भी समझौता ज्ञापन किया है।

*****

लोक सभा में दिनांक 21.03.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 3270 के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत संचयी रूप से संगठित किए गए परिवार और बनाए गए स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) का राज्य-वार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य	बनाए गए एसएचजी	एकजुट किए गए परिवार
1	आंध्र प्रदेश	853122	8929363
2	असम	332315	3707450
3	बिहार	1054925	12200889
4	छत्तीसगढ़	253030	2727056
5	गुजरात	270672	2694386
6	झारखंड	277850	3446912
7	कर्नाटक	252285	2989060
8	केरल	254191	3644669
9	मध्य प्रदेश	427281	4797967
10	महाराष्ट्र	597697	5950619
11	ओडिशा	528056	5442834
12	राजस्थान	252952	2793620
13	तमिलनाडु	318137	3675989
14	तेलंगाना	439019	4603338
15	उत्तर प्रदेश	693324	7265721
16	पश्चिम बंगाल	1047555	10771352
17	हरियाणा	56053	576813
18	हिमाचल प्रदेश	41775	338103
19	जम्मू और कश्मीर	77346	620421
20	पंजाब	39145	393040
21	उत्तराखंड	54201	403868
22	अरूणाचल	5849	47848
23	मणिपुर	6442	68186
24	मेघालय	43656	424208
25	मिजोरम	9214	73765

26	नागालैंड	13487	116365
27	सिक्किम	5441	50779
28	त्रिपुरा	45357	407996
29	अंडमान	1128	10997
30	गोवा	3640	46906
31	लद्दाख	519	4315
32	लक्षद्वीप	325	3704
33	पुदुचेरी	4188	53349
34	दमन एवं दीव और नगर हवेली	914	9510
	कुलः	**8261091**	**89291398**